रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263883
CG-DL-E-16062025-263883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2624] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947
No. 2624] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISHTHA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2689(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड', धर्मशाला (पैन AAAJH0373H), जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित एक बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान/अग्रिम/प्राप्तियां।

(ख) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 के अनुसार लगाए गए/प्राप्त किए गए शुल्क/प्रभार (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं)।

(ग) पुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्री की बिक्री से प्राप्तियां/आय।

(घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड', धर्मशाला –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के लिए क्रमशः प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2020-2021 से 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 59 /2025 /फा. सं. 300196/06/2019-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

S.O. 2689(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Himachal Pradesh Board of School Education', Dharamshala (PAN: AAAJH0373H), a Board established under Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

a) Grants/advances/receipts received from State Government of Himachal Pradesh.

b) Fees/charges (by whatever name called) levied/received as per Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968

c) Receipt/income from sale of books and other educational material

d) Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Himachal Pradesh Board of School Education', Dharamshala -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2020-2021 to 2023-2024 relevant for the financial years 2019-2020 to 2022-2023 respectively.

[Notification No. 59 /2025 /F. No. 300196/06/2019-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA